रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2005/चैत्र 10, 1927

No. 42] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005/CHAITRA 10, 1927

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुंबई, 28 मार्च, 2005

**सं. टीएएमपी/35/2004-जेएनपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा संलग्न आदेश के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के प्रशुल्क को वैधता को विस्तार प्रदान करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## प्रकरण सं. टीएएमपी/35/2004-जे.एन.पी.टी.

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ..... आवेदक

## आदेश

(मार्च 2005 के 15वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के दरमान में निर्धारित समस्त पोत संबंधी प्रभारों की उच्चतम दरों में 10% की कमी करते हुए 10 अगस्त, 2004 को एक आदेश पारित किया था। उस आदेश में इस प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ, पोत संबंधी प्रभारों के सिवाय, जेएनपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2005 तक का विस्तार प्रदान किया था और जेएनपीटी को यह निदेश दिया था कि वह अपने प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे और यदि 31 जनवरी, 2005 तक जेएनपीटी से व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव नहीं प्राप्त हो जाता है तो उसके दरमान की एक पक्षीय समीक्षा कर दी जाएगी।

2.1 जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2005 के माध्यम से प्राधिकरण को नम्रतापूर्वक यह सूचित किया है कि वह अपना प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवा सका और उसने व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके साथ उसने प्राधिकरण से एक पक्षीय कार्यवाही आरम्भ न करे।

2.2 जेएनपीटी द्वारा उठाये गए विवाद के प्रमुख बिन्दुओं में से एक तटीय यातायात के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित रियायतों के बारे में हाल ही में की गई घोषणाओं के प्रभाव के बारे में और इसके द्वारा सरकार को राजस्व के उपयोग संभाग/इसके द्वारा बीओटी रियायतों से प्राप्य रायलटी आय के बारे में है। तटीय यातायात को रियायतों का पत्तन न्यास के राजस्व और जेएनपीटी के लागत मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

3. इस परिप्रेक्ष्य में, यह प्राधिकरण जेएनपीटी द्वारा मांगा गया समय-विस्तार प्रदान करने की इच्छा रखता है। 31 मार्च, 2005 की समय-सीमा करीब-करीब पहुँच ही गई है। यह ज्यादा व्यावहारिक होगा कि समय-सीमा 30 अप्रैल, 2005 तक स्वीकृत कर दी जाए, यद्यपि जेएनपीटी ने अपना प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च, 2005 तक का ही समय मांगा है।

4. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण जेएनपीटी के दरमान की एक-पक्षीय समीक्षा को 30 अप्रैल, 2005 तक स्थगित रखने का निर्णय लेता है और जेएनपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव अपने प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए 30 अप्रैल, 2005 तक प्रस्तुत करने का निदेश देता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04-असा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

Mumbai, the 28th March, 2005

**No. TAMP/35/2004-JNPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the tariff of the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

**Case No. TAMP/35/2004-JNPT**

**The Jawaharlal Nehru Port Trust** ..... **Applicant**

## ORDER

(Passed on this 15th day of March, 2005)

This Authority passed an Order on 10 August, 2004 reducing the ceiling rates of all vessel related charges prescribed in the Scale of Rates of Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) by 10%. In this Order, this Authority, *inter alia*, extended the validity of the existing Scale of Rates other than vessel-related charges of the JNPT till 31 March, 2005 and directed the JNPT to file its revised proposal for general review of its tariff by 31 January, 2005 and decided to review the Scale of Rates *suo motu* in the event of non-receipt of a comprehensive tariff proposal from the JNPT by 31 January, 2005.

2.1 The JNPT *vide* its communication dated 31 January, 2005 has pleaded its inability to file the said proposal within the time frame and sought an extension of time upto 31 March, 2005 for filing a comprehensive tariff proposal and requested this Authority not to initiate *suo motu* proceedings.

2.2 One of the major points of contention raised by the JNPT is about the impact of recent announcement made by this Authority about concession to coastal traffic and a reference made by it to the Government about utilisation of revenue share/royalty income receivable from the BOT Concessions granted by it. The concession to coastal traffic and the decision on revenue share/royalty income will have impact on the revenue of port trust and the cost appraisal of JNPT.

3. In this backdrop, this Authority is inclined to allow the extension of time sought by the JNPT. The time limit of 31 March, 2005 has almost been reached, it may be realistic to allow time upto 30 April, 2005 even though the JNPT has sought time upto 31 March, 2005 to file its tariff proposal.

4. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to defer the *suo motu* review of the Scale of Rates of the JNPT till 30 April, 2005 and directs the JNPT to file its revised proposal for general review of its tariff by 30 April, 2005.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT./III/IV/143/04-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.